

प्रेषक,

ए0एस0 पांगती,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में विधान सभा क्षेत्र-विकासनगर के अन्तर्गत विभिन्न 02 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्र 0का0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा संलग्न विवरणानुसार स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये 02 कार्यों के आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 1.465 किमी0 है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण लागत ₹ 64.51 लाख (₹ चौंसठ लाख इक्यावन हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख अर्थात् 02 कार्यों हेतु ₹ 0.20 लाख (₹ बीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- (iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- (v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- (vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- (vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड क्वॉरमेंट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।


(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiii) विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.20 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22, के अन्तर्गत अलॉटमेंट आई0डी0 के द्वारा आपको आबंटित कोड सं०-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।


(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-1035/XXVII(2)/2016 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।


भवदीय,
(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

संख्या:- _____ / 11(2)/17-16(एम०एल०ए०)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रा०, लोनिवि०, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/टिहरी।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लोनिवि०, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।


(ए०एस० पांगती)
उप सचिव

क. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5
1	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र-विकासनगर के विकास खण्ड विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पष्ठा लोअर पी.एम. जी.एस.वाई. सड़क के पूर्व माध्यमिक विद्यालय से लौंघा मदर्स मार्ग तक सड़क मार्ग का विस्तार कार्य।	0.465	48.05	0.10
2	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-165/2015 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र-विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा तौली भूड किमी०-3.00 राजेन्द्र सिंह की दुकान से पूर्ण सिंह के घर धोरे की डांडी तक पी.सी. द्वारा निर्माण कार्य। (द्वितीय चरण)	1.00	16.46	0.10
कुल :-		1.465	64.51	0.20

(कुल ₹ बीस हजार मात्र)

(ए०एस० पांगती)

उप सचिव

120

उपसचिव प्रमुख, अधिसूचना एवं विचारधारा, लोक निर्माण विभाग

विभाग- देहरादून

Office of the Engineer in Charge, P.W.D. Dehraadun

116-107/116-107/116-107/116-107

E-mail: upsc@upsc.gov.in

दिनांक 03/01/2017

दिनांक 03/01/2017

प्रतिष्ठित - अधिसूचना एवं विचारधारा, लोक निर्माण विभाग, देहरादून

1. नगर निगम, देहरादून के अधिसूचना एवं विचारधारा, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. अधिसूचना एवं विचारधारा, लोक निर्माण विभाग, देहरादून का इस अधिसूचना से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की प्रति, अधिसूचना एवं विचारधारा, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को भेजने का कार्य करें।
3. अधिसूचना एवं विचारधारा, अधिसूचना एवं विचारधारा, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस अधिसूचना से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना की प्रति, अधिसूचना एवं विचारधारा, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को भेजने का कार्य करें।
4. अधिसूचना एवं विचारधारा, अधिसूचना एवं विचारधारा, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

15/1/2017
उपसचिव
देहरादून

